उपराज्यपाल ने योजना को दी मंजूरी

निर्माण श्रमिकों के परिवार को अब 10 लाख तक नकद रहित इलाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े 2.7 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों को अब मुफ्त नकद रहित इलाज की सुविधा मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए दिल्ली भवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली मंत्रिमंडल ने योजना को स्वीकृति दी थी।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र श्रमिक को सालाना अधिकतम दो लाख रुपए और उसके पूरे परिवार को 10 लाख रुपए तक नकद रहित उपचार की सुविधा मिलेगी। योजना का लाभ केवल दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू) में पंजीकृत श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों को मिलेगा। योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर नकद रहित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवाएं और अस्पताल में भर्ती होकर उपचार शामिल होगा। प्रत्येक पात्र श्रमिक और उसके जीवनसाथी का सालाना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। निर्माण स्थल पर हादसा होने या अचानक चिकित्सा आपात स्थिति पैदा होने पर श्रमिक को पहले अस्पताल की सूची देखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में नजदीकी गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में भी इलाज कराया जा सकेगा। संबंधित अस्पताल को इलाज की सीमित अवधि के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध माना जाएगा। श्रमिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जाएंगी। ये निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य जांच के साथ श्रमिकों को सूचीबद्ध अस्पतालों तक पहुंचाने और योजना के प्रति जागरूकता फैलाने में भी मदद करेंगी। योजना के तहत लाभार्थियों का रिकार्ड, इलाज का इतिहास और दावों की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी।

सड़कों पर दौड़ रहे मियाद पूरी कर चुके सवा दो लाख वाहन

निर्देशों के बाद महज 618 गाड़ियां जब्त कर परिवहन विभाग ने की खानापूर्ति

हर्ष मिश्रा
नोएडा, 12 सितंबर।

गौतमबुद्धनगर जिले में अपनी उम्र (समय-सीमा) पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, जिले में सवा दो लाख से अधिक ऐसे वाहन मौजूद हैं जिनकी वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है।

नियमों के मुताबिक, इन मियाद पार वाहनों का सड़कों पर संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्थानीय परिवहन विभाग की कार्रवाई केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित नजर आ रही है। शासन के निर्देश पर चलाए गए सात दिनों के विशेष अभियान के दौरान प्रवर्तन टीम सवा दो लाख की विशाल संख्या में से केवल 618 वाहनों को ही जब्त कर सकी।

> गाजियाबाद और नोएडा दोनों ही जगहों पर बड़े स्तर पर गाड़ियों को जब्त करने का काम किया जा रहा है। इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। – **सियाराम वर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)**

लाखों कबाड़ वाहनों के मुकाबले चंद सौ गाड़ियों पर यह कार्रवाई विभाग की उदासीनता और इच्छाशक्ति के अभाव को दर्शाती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है और इन्हें जब्त कर स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है। ऐसे वाहन सामान्य गाड़ियों की तुलना में कई गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

जल्द ही सर्दियों के दस्तक देने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के कड़े नियम प्रभावी हो जाएंगे। ऐसे में अगर इन अमान्य वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई, तो शहरवासियों को एक बार फिर जहरीली धुंध (स्माग) और वायु आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है।

‘प्रधानमंत्री आवास का भी कराएं निरीक्षण’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर छह का निरीक्षण करेगी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे और उसने मांग की कि प्रधानमंत्री आवास का भी इसी तरह निरीक्षण कराया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा इस बंगले की कथित भव्यता को लेकर लगातार झूठ बोलती रही है।

केजरीवाल ने बिना मंजूरी क्यों कराया बंगले का निर्माण : भाजपा

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी ने यह बताना चाहिए कि अरविंद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी बंगले में निर्माण और मरम्मत कार्य बिना दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) की स्वीकृति और एमसीडी से नक्शा पास कराए कैसे कराया।

सुपरटेक खरीदारों का प्रदर्शन, जल्द निर्माण शुरू कराने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 12 सितंबर।

सुपरटेक परियोजनाओं में केंद्रीय भवन निर्माण कंपनी एनबीसीसी द्वारा काम शुरू नहीं करने पर शनिवार को खरीदारों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। खरीदारों ने सेक्टर-96 स्थित सुपरटेक ई स्क्वायर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द काम शुरू नहीं होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 21 महीने बाद भी परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं होने पर खरीदारों के सब्र का बांध टूट गया।

परियोजनाओं के खरीदारों के मुताबिक, नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने दिसंबर 2024 में एनबीसीसी को निविदा प्रक्रिया पूरी कर अगले साल मई तक निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया था।

मौसम नई दिल्ली में शनिवार को बारिश के दौरान गुजरते वाहन।

मोबाइल चोरी के शक में 17 वर्षीय किशोर की हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 सितंबर।

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र स्थित कुलेसरा की श्रीराम कालोनी में मोबाइल चोरी के संदेह में एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। किशोर के परिजनों ने उसके ही दोस्तों पर मारपीट करने और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ही नामजद आरोपी फरार हैं।

पुलिस के मुताबिक, किशोर की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो कुलेसरा में रहता था। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे सूरज का एक दोस्त और उसका भाई उसे घर से बुलाकर अपने किराए के कमरे पर ले गए। वहां उन्होंने सूरज पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया और फिर अपने कुछ अन्य साथियों को भी वहां बुला लिया। आरोप है कि सभी ने सूरज के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

गाजियाबाद : छत से गिरकर नवविवाहिता की मौत, पति समेत पांच पर मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 12 सितंबर।

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से प्रेम विवाह के छह माह बाद एक नवविवाहिता आकृति सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने के बाद मौत हो गई। आकृति के परिजनों का आरोप है कि दहेज में कार न मिलने के कारण ससुराल वालों ने उसे तीन मंजिला मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया।

घटना के बाद पति गौरव, ससुर रमेश, सास सरोज और ननद सोनी व नेहा फरार हैं। पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आकृति के भाई प्रभात के अनुसार, पहले गौरव पक्ष ने 30 लाख और कार की मांग की थी। विवाद के बाद रिश्ता टूट गया था। बाद में आकृति और गौरव ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह कर लिया। आरोप है कि शादी के बाद फिर कार की मांग को लेकर आकृति को प्रताड़ित किया गया।

फैसला संरक्षण और पर्यटक सुविधाओं से जुड़े काम जारी

जंतर मंतर सहित 10 स्मारकों में प्रवेश पर रोक

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में मरम्मत कार्यों की वजह से हौज खास किला, जंतर-मंतर और अग्रसेन की बावली जैसे स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत किए गए आवेदन के जवाब में दी गई है। प्राप्त हुई जवाब की एक प्रति के मुताबिक, दिल्ली में करीब 10 स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) वहां संरक्षण, मरम्मत और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आरटीआइ के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक, हौज खास और कोटला फिरोज शाह परिसर में मौजूद स्मारकों के समूह में आपातकालीन ढांचागत मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि तुगलकाबाद किले और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। जानकारी में कुतुब मीनार परिसर में सुलभता से जुड़े सुधारों के साथ-साथ सलीमगढ़ किले में सिग्नल रेजिमेंट बिल्डिंग और शौचालय खंड की संरचनात्मक मरम्मत और नवीनीकरण का भी जिक्र किया गया है। लाल किले के लाहौर गेट पर मौजूद मुंडेर समेत कुएं वाले इलाके के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। आरटीआइ के तहत प्राप्त जवाब के मुताबिक हौज खास-1 में इमारतों के एक समूह के कुछ हिस्से में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। यह परिसर मध्यकालीन दौर के एक बड़े जलाशय के आस-पास बनाया गया था और बाद में यहां दिल्ली सल्तनत से जुड़ा एक मदरसा, मकबरा और दूसरी इमारतें बनीं। यह जलाशय अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया था, जबकि बाद की इमारतें जिनमें मदरसा और मक़बरा शामिल हैं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी हुई हैं। मध्य दिल्ली में जंतर मंतर और अग्रसेन की बावली के अंदर बनी संरचनाओं के पास भी पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

> *हौज* खास और कोटला फिरोज शाह परिसर में मौजूद स्मारकों के समूह में आपातकालीन ढांचागत मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

खबर कोना

ग्रेनो प्राधिकरण पर किसान महापंचायत कल

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 सितंबर।

ग्रेटर नोएडा पर किसान संघर्ष मोर्चा का धरना प्रदर्शन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। सामूहिक चर्चा के बाद 14 सितंबर को किसानों से जुड़े मुद्दों पर एक महापंचायत बुलाने का एलान किया है। किसान सभा के जिलाध्यक्ष रूपेश वर्मा ने बताया कि दस फीसद भूखंड, आबादियों का निस्तारण, नए कानून के अनुसार बीस फीसद भूखंड और बीस हजार रुपए प्रति वर्गमीटर मुआवजे की मांग को लेकर किसान गत बुधवार से धरने पर बैठे हैं।

कृष्णा नगर में 30 लाख की लूट, चार दबोचे गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

दिल्ली पुलिस के कृष्णा नगर थानांतर्गत इलाके में हुई 30 लाख की लूट के मामले में सरगना समेत चार आरोपियों को दबोचा गया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। घटना गत 11 सितंबर की है जब विवेक विहार फेज-2 निवासी संजय जैन स्कूटर से करीब 30 लाख रुपए लेकर गांधी नगर जा रहे थे। इसी दौरान विजय चौक की तरफ से आए स्कूटर सवार बदमाशों ने उनको पीछे से घेर लिया और बंदूक के बल पर नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे।

जेवर के तीन गांवों में विकास कार्य शुरू

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 सितंबर।

जेवर इलाके के दस्तमपुर, मुढ़रह और वीरमपुर गांवों में शनिवार को विकासीय निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। तीनों गांवों के विकास कार्यों पर तीन करोड़ 94 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जरूरी सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही सड़क और दूसरे जरूरी विकास कामों में तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में विकास लगातार हो रहा है और जेवर विधानसभा भी इसमें पीछे नहीं है। दस्तमपुर में एक करोड़ 20 लाख, मुढ़रह में 89 लाख और वीरमपुर में एक करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे।

होटल में एअर इंडिया का पायलट मृत मिला

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

बोइंग 787 विमान के लिए कन्वर्जन प्रशिक्षण के सिलसिले में दिल्ली आए एअर इंडिया का एक पायलट होटल के कमरे में अचेत मिला, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने किसी साजिश की आशंका से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि पायलट ने 10 सितंबर को वसंत कुंज के एक होटल में चेक-इन किया था और अगले दिन शाम को वहां मृत पाए गए। एअरलाइन के अधिकारियों के अनुसार, पायलट पहले एअर इंडिया एक्सप्रेस के साथ काम कर चुके थे और वाइड-बाडी बोइंग 787 विमान उड़ाने के लिए कन्वर्जन प्रशिक्षण ले रहे थे। पुलिस के अनुसार, होटल के एक अतिथि की 11 सितंबर को तबीयत खराब होने के संबंध में वसंत कुंज नार्थ थाने को सूचना मिली। इसके बाद पुलिसकर्मी होटल पहुंचे और पायलट को अचेत पाया।

सार्वजनिक सूचना
(ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
श्री रजत सेहरा (क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

	प्रासंगिक विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री रजत सेहरा
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	(i). एं48, दूसरी मंज़िल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025; (ii). बेसमेंट डी 71/ 1 ओखला फ़ेज़ 2, नई दिल्ली–110020; (iii). के–59 एबी बेसमेंट कालकाजी; X–3 ग्राउंड फ़्लोर ओखला फ़ेज़–2, एनडी –110020;(iv).198/22 रमेश मार्केट ईस्ट ऑफ़ कैलाश, दिल्ली–110005; (v).फ़्लैट 4031 टॉवर 4 एटीएस वन हैमलेट सेक्टर 104 नोएडा–201301; (vi)फ़्लैट 1504 टॉवर 35 लोटस बुलेवार्ड एस्पेसिया सेक्टर 100 नोएडा–201301; (vii). ए–204 तीसरी मंज़िल डिफ़ेंस कॉलोनी, दिल्ली–110024; (viii).एक्स–3; ग्राउंड फ़्लोर ओखला फ़ेज़–2 नई दिल्ली–110020
3.	व्यक्तिगत गारंटर के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ होने की तिथि	07.09.2026 (आदेश की कॉपी 09.09.2026 को मिली)
4.	आवेदन प्रस्तुति के आदेश के विवरण	दिवाला और दिवालियापन संहिता,2016 की धारा 95(1) और इसे एनसीएलटी बेंच–V द्वारा सी.पी.(आईडी) 205/एनडी /2024 में 07.09.2026 के आदेश के ज़रिए स्वीकार किया गया है
5.	समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री देबाशीष नंदा आईपी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार समाधान व्यवसायी का पता और ई–मेल	फ़्लैट नंबर सीएस–14, सी –फ़्लोर, अंसल प्लाज़ा, वैशाली गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल: dnanda.cma@gmail.com
7.	समाधान व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	कार्यालय संख्या: सीएस–14,सी–फ़्लोर, अंसल प्लाज़ा, वैशाली गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल: – pirp.snehlata@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04–10–2026
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहाँ उपलब्ध हैं :	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच–V नई दिल्ली ने 07.09.2026 (आदेश की कॉपी 09.09.2026 को मिली) को श्री रजत सेहरा,क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर, की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री रजत सेहरा, व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों को 04.10.2026 को या उससे पहले सबूत के साथ अपना दावा प्रविष्टि संख्या 5 व 6 के सामने उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। लेनदारों को अपने दावे सबूत के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ जमा करने होंगे।
दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

श्री देबाशीष नंदा
समाधान पेशेवर
श्री रजत सेहरा के मामले में
दिनांक: 13.09.2026
स्थानः दिल्ली
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316

बिक्री नोटिस
मल्टीसिटी हॉस्पिटलिटीज एलएलपी (परिसमापन में)
CIN/LLPIN: AAF-9689
पंजीकृत कार्यालय: 417/1, खसरा नंबर 375, गाँव गदाई पुर, गुरुद्वारा गोबिंद सदन के सामने, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत–110030

वाहनों की ई-नीलामी
आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया), विनियम, 2016 के विनियम 32 (सी) के अनुसार वाहनों की परिसंपत्तियों की एकल आधार पर बिक्री
ई–नीलामी की दिनांक एवं समय: 8, सितंबर 2026 समय: – 03:00 बजे से 05:00 बजे
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
नीलामी मंच पर पात्रता दस्तावेज दाखिल करने की अंतिम दिनांक: 26 सितंबर 2026 शाम 06:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक: 06 अक्टूबर 2026 शाम 06:00 बजे तक

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(सी) के अनुसार परिसंपत्तियों के ऐसे समूह की बिक्री, जिसे सामूहिक रूप से बेचे जाने का प्रस्ताव है, मैसर्स मल्टीसिटी हॉस्पिटैलिटीज एलएलपी (परिसमापनाधीन) के मामले में, जो परिसमापन संपदा का हिस्सा है, जिसे माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ (न्यायालय–II) द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2025 के आदेश के माध्यम से नियुक्त परिसमापक द्वारा गठित किया गया है। प्रस्तावित बिक्री ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट ई–नीलामी मंच https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home के माध्यम से की जाएगी।

परिसम्पत्ति	आरक्षित मूल्य	ईएमडी मूल्य	बोली वृद्धि
स्टैंडअलोन आधार पर 2021 के वाहनों की परिसंपत्ति की बिक्री			
1. महिंद्रा बोलेरो नियो एन4	355000	35,500	5,000
2. सुपर कैरी एसटीजी सीएनजी	312500	31250	5,000
3. सुपर कैरी एसटीजी सीएनजी	3,12500	31250	5,000
4। एक्टिवा 6जी एलईडी	16,000	1600	1,000

महत्वपूर्ण नोट:
1. ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है, जो कुछ है और बिना किसी सहारे के आधार पर" आयोजित की जाएगी, अतः ऐसी बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना अनुमोदित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से बैंकनेट द्वारा आईबीबीआई ई–नीलामी पोर्टल पर https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home. or https://www.ebkray.in के माध्यम से की जाएगी।
2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची । "बिक्री का तरीका" खंड 1(6ए) के अनुसार, बोलीदाताओं को यह घोषित करना होगा कि वे धारा 29 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं अथवा पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले नहीं हैं, बाद में अयोग्यता स्थापित होने पर कोई भी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

ई–नीलामी के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं
1. सभी आवेदकों से अनिवार्य रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे ईएमडी जमा करने और प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व आईबीबीआई के पोर्टल पर या ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट से नियम और शर्तों का संदर्भ लें।
2. इच्छुक आवेदक ई–नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया के दस्तावेज, जिसमें ई–नीलामी के नियम और शर्तें सम्मिलित हैं, ई–नीलामी मंच अर्थात https://baanknet.com/ or https://www.ebkray.in पर देख सकते हैं।
इच्छुक बोलीदाताओं को बैंकनेट पर वॉलेट के माध्यम से बयाना राशि जमा करनी आवश्यक है।
3. संभावित बोलीदाता 26 सितंबर 2026 को या उससे पहले ई–नीलामी पोर्टल पर ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। विस्तृत नियम एवं शर्तें सहित पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया का बोली प्रपत्र वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. उच्चतम बोलीदाता की पहचान सफल बोलीदाता की स्थिति की गारंटी नहीं देती है। परिसमापक, परिसमापन हेतु लेनदारों की हितधारक परामर्श समिति (सीओसी) के परामर्श से, सफल बोलीदाता घोषित करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है। परिसमापक और एससीसी का निर्णय सभी बोलीदाताओं पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. एससीसी के परामर्श से सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात, परिसमापक सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगा और शेष प्रतिफल के भुगतान की मांग करेगा (ई–नीलामी दस्तावेज के अंतर्गत उल्लिखित विस्तृत नियमों और शर्तों के अनुसार)। उल्लिखित समय–सीमा के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि जमा करने में चूक होने पर जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी, सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जाएगी।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से है और बिक्री को प्रभावी करने के लिए परिसमापक या कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। परिसमापक बिना कोई कारण बताए और किसी भी प्रकृति की कोई देयता वहन किए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द करने अथवा ई–नीलामी के किसी भी नियम और शर्त को संशोधित या विस्तारित करने अथवा किसी भी इच्छुक पक्ष, संभावित निवेशक या बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपने स्वयं के खर्च पर स्वतंत्र पूछताछ/समुचित परिश्रम करना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।
8. बैंकनेट की वेबसाइट से किसी तकनीकी त्रुटि या प्रणाली संबंधी समस्या के मामले में, परिसमापक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। बोलीदाता ई–नीलामी में भाग लेने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होगा।
हालांकि, किसी भी प्रश्न या सहायता के मामले में इच्छुक खरीदार को नीलामी दस्तावेज की आगे की नियमों और शर्तों के अधीन निर्धारित नीलामी से 48 घंटे पूर्व परिसमापक से संपर्क करना चाहिए।
9. ई–नीलामी सेवा प्रदाता निर्धारित दिनांक एवं समय पर नीलामी आयोजित करेगा (https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home.)
10. ई–नीलामी की दिनांक एवं समय 8 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक होगा (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
11. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए कृपया पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड हेल्प डेस्क संपर्क नं: 91–8291220220 ईमेल: support.ebkray@psballiance.com या ई–मेल Liq.mhllp@gmail.com पर या निधि पांडे संपर्क नं. 9792569916 पर संपर्क करें।

शैलेश चंद्र ओझा
मल्टीसिटी हॉस्पिटैलिटीज एलएलपी के परिसमापक
आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P-02659/2023-2024/14382
एएफए 30.06.2027 तक वैध
आईबीबीआई पंजीकृत पता: फ्लैट नं.101 यूजीएफ, फ्लैट नं.: 28ए–28बी, एक्सटेंशन 1 सेक्टर पार्क, द्वारका मोड़, दिल्ली–110059
पत्राचार पता: 903ए, इंद्र प्रकाश, 21, बाराखंबा रोड कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
मो. +91 98680 67652, ईमेल: liq.MHLLP@gmail.com
तिथि:13.09.2026
स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना
(ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
सुश्री सारिका सेहरा (क्वेस्ट मर्चेन्डाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्ति गारंटर) के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

	प्रासंगिक विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	सुश्री सारिका सेहरा
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	(i). ए 48, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025; (ii). बेसमेंट डी71/1 ओखला फेज 2, नई दिल्ली–110020; (iii). के–59 एबी बेसमेंट कालका. जी; एक्स–3 भूतल ओखला फेज–2, नई दिल्ली–110020; (iv). 198/22 रमेश मार्केट ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली–110005; (v). फ्लैट 4031 टावर 4 एटीएस वन हेमलेट सेक्टर 104 नोएडा–201301; (vi) फ्लैट 1504 टावर 35 लोटस बुलेवार्ड एस्पेसिया सेक्टर 100 नोएडा–201301; (vii). ए–204 तीसरी मंजिल डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली–110024; (viii). एक्स–3; भूतल ओखला फेज–2 नई दिल्ली–110020
3.	व्यक्तिगत गारंटर के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ होने की तिथि	07.09.2026 (आदेश की प्रति 09.09.2026 को प्राप्त हुई)
4.	आवेदन प्रस्तुति के आदेश के विवरण	ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 95(1) और एनसीएलटी बेंच–V द्वारा सी.पी. (आईबी) 324/एनडी/2024 के अंतर्गत अपने आदेश दिनांक 07.09.2026 द्वारा स्वीकार किया गया है
5.	समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री देबाशीष नंदा आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार समाधान व्यवसायी का पता और ई–मेल	फ्लैट नं. सीएस–14, सी–फ्लोर, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल :– dnanda.cma@gmail.com
7.	समाधान व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	कार्यालय संख्या सीएस–14, सी–फ्लोर, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल :– pirp.sarika@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04–10–2026
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहाँ उपलब्ध हैं :	वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ – V ने 07.09.2026 को क्वेस्ट मर्चेन्डाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर सुश्री सारिका सेहरा के विरुद्ध ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 09.09.2026 को प्राप्त हुई थी)।
सुश्री सारिका सेहरा के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा प्रविष्टि संख्या 5 एवं 6 के सामने उल्लिखित पते पर समाधान व्यवसायी के पास 04.10.2026 को या उससे पहले साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। ऋणदातागण, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप में प्रमाण सहित, पोस्ट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य सहित दावे प्रस्तुत करेंगे।
दावे के झूठे या भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

देबाशीष नंदा
समाधान व्यवसायी
सुश्री सारिका सेहरा के प्रकरण में
दिनांक : 13–09–2026
स्थान : दिल्ली
आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316

प्रपत्र जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण, हेतु
एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251203 में
देशी शराब (सीएल), रेक्टिफाइड स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इथेनॉल तथा सीओ2 के विनिर्माणन में कार्यरत (एक डिस्टिलरी यूनिट))
(भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 36ए(1) के अंतर्गत)

	सुसंगत विवरण	
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ निगमित देनदार का नाम	एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन : U21011UP1961PLC002861 पैन : AAECS3637C
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251203
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://www.cirpsvp.in/
4.	उस स्थान के विवरण, जहां स्थायी परिसंपत्तियां बहुतायत में अवस्थित हैं	मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251203
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	कॉर्पोरेट देनदार के पास डिस्टिलरी की संस्थापित क्षमता निम्नलिखित प्रकार से है : मोलासेज 140 केएलपीडी अनाज : 100 केएलपीडी (इथेनॉल डिहाइड्रेशन 100 केएलपीडी)
6.	विगत वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों / सेवाओं की प्रमात्रा एवं मूल्य	वर्तमान में परिचालन में नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में बिक्री शून्य है। वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आबकारी शुल्क के पश्चात बिक्री रु. 139.48 करोड़ है।
7.	कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या	वर्तमान में शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), ऋणदाताओं की सूचियों सहित भावी विवरण इस यूआरएल पर उपलब्ध हैं :	https://:www.cirpsvp.in/
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान आवेदकों की योग्यता यहां पर उपलब्ध है–	URL: https://:www.cirpsvp.in/ पात्रता मानदंड का उल्लेखन विस्तृत 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण' में भी किया गया है तथा इसे निम्न ईमेल : svpind.cirp@gmail.com पर एक ईमेल भेजकर समाधान व्यवसायी से प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	03.10.2026, शनिवार
11.	प्रस्तावित समाधान आवेदकगणों की अनंतिम सूची निर्गतन की तिथि	13.10.2026, मंगलवार
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	18.10.2026, रविवार
13.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गतन की तिथि	28.10.2026, बुधवार
14.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों को जानकारी ज्ञापन, मूल्यांकन आव्यूह तथा समाधान नियोजन के अनुरोध के निर्गतन की तिथि	02.11.2026, सोमवार
15.	समाधान नियोजन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.12.2026, बुधवार
16.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रोसेस ईमेल आईडी	svpind.cirp@gmail.com
17.	एमएसएमई के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति के विवरण	लागू नहीं

हस्ता./–
भूपेश गुप्ता
एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समाधान व्यवसायी
पंजीकरण सं.: **IBBI/IPA-001/IP-P-01468/2018-2019/12271**
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत पता : 645ए/533बी, जानकी विहार कॉलोनी, सेक्टर– I, प्रभात चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226031
तिथि : 12–09–2026
स्थान : नई दिल्ली
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ईमेल : **cabhoopesh@rediffmail.com**
एएफए मान्य तिथि : 31.12.2026 तक